

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1006] No. 1006] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

का.आ.1285(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
327	907 ए	हिमाचल प्रदेश राज्य में नाहन के निकट नई रारा सं-7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		बनेथी, सरहान को जोड़ते हुए कुमारहाटी के निकट रारा-5 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त
		होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14014/90/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.िन.आ.1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था।

2134 GI/2015 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

S.O.1285 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
327	907A	The highway starting from its junction with NH No. 7 near Nahan connecting Banethi, Sarahan and terminating at its junction with NH No. 5 near Kumarhatti in the State of Himachal Pradesh.

[F. No. NH-14014/90/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 132 (E), dated 12th January, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

का.आ.1286 (अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥ खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 320 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"320	503ए	पंजाब राज्य में अमृतसर में रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेहता,
		श्री हरगोविंदपुर, टांडा, होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश राज्य में ऊना, बासोली,
		बरसर, सलोनी को जोड़ते हुए तथा भोटा के निकट रारा-103 के साथ अपने
		जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14014/90/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

S.O.1286(E). —In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 320 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"320	503A	The highway starting from its junction with NH-3 at Amritsar connecting Mehta, Sri Hargobindpur, Tanda, Hoshiarpur in the State of Punjab, Una, Basoli, Barsar, Salooni and terminating at its junction with NH-103 near Bhota in the State of Himachal Pradesh."

[F. No. NH-14014/90/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 132 (E), dated 12th January, 2015.